

समाहरणालय हजारीबाग

(समाज कल्याण शाखा)

इच्छा की अभिव्यक्ति (अल्पकालीन)

हजारीबाग जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना-सबला के अन्तर्गत (क) जीवन कौशल (ख) सखी सहेली (ग) पोषण स्वास्थ्य, शिक्षा, आई0ई0सी0 मार्ग दर्शन सहित (घ) व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है प्रस्ताव दिनांक-28.02.2017 को 01:00 बजे अपराह्न/पूर्वाह्न तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, हजारीबाग में प्राप्त किया जायेगा तथा ... 28.02.2017 को अपराह्न 04:00 बजे जिलास्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा।

इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तें :-

1. किशोरी बालिकाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने हेतु प्रस्ताव ट्रेडवार अलग-अलग समर्पित करना आवश्यक होगा।
2. प्रस्ताव समर्पित करने वाले एन0जी0ओ0 का गत् तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं बैलेंस सीट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. उन्ही गैर सरकारी संस्थाओं के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, जिनका निबंधन झारखण्ड सरकार के अंतर्गत हुआ है एवं जिन्हे पूर्व में राज्य सरकार द्वारा समान प्रकृति के प्रशिक्षण कार्य हेतु जिम्मेदारी दी गयी है उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।
4. गैर सरकारी संस्थाओं का नाम काली सूची में दर्ज नहीं रहने का शपथ-पत्र समर्पित करना होगा।
5. किशोरी बालिकाओं को विभिन्न ट्रेडों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण का कार्य दिये गये समय सीमा तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।
6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से प्राप्त सूची के अनुरूप चिन्हित किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण देना होगा।
7. प्रत्येक ट्रेड में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का निर्धारण ट्रेड के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि तथा उपलब्ध राशि के अनुरूप किया जायेगा।
8. प्रत्येक ट्रेड में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का निर्धारण ट्रेड के प्रकार, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण का बैच, प्रशिक्षण पर होनेवाले व्यय, सम्भावित बजट के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
9. निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं करने पर कार्यादेश रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. प्रस्ताव विहित प्रपत्र में देना होगा। विहित प्रपत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय, हजारीबाग अथवा **hazaribag.nic.in (website)** पर किसी भी कार्य दिवस को कार्य अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।
11. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले के निवटारे हेतु क्षेत्राधिकार हजारीबाग जिला होगा।
12. किशोरी बालिकाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्रस्ताव सरकार के प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत शर्तों के आधार पर देना होगा।
13. स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संस्था को प्राथमिकता दिया जायेगा।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

कार्यालय, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, हजारीबाग ।

दिनांक:- को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इच्छुक स्वयं संस्था

गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भरे जाने वाले विहित प्रपत्र :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय योजनान्तर्गत योजना किशोरी बालिकाओं के शाक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना सबला के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु :-

1. स्वयं सेवी/ गैर सरकारी/ अन्य संस्थाओं का नाम एवं पता :-
2. निबंधन संख्या (निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) एवं पेन नं0 :-
3. अंकेक्षण की स्थिति (छायाप्रति संलग्न) :-
4. जिस ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाना है उसमें अनुभव है या नहीं :-
5. जिला स्तरीय अन्य सरकारी/ गैर सरकारी कार्यों में अनुभव :-
6. कार्यरत कर्मियों एवं प्रशिक्षकों की उपलब्धता :-
7. कार्य परियोजना प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण :-

हस्ताक्षर :-.....

नाम :-